(ख) यदि हां, तो ऐसे पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी योजना शुरू करने जा रही है, और

(घ) यदि हां ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण शहरी क्षेत्रों में प्रवास बढ़ने का एक कारण है । ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:- जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कुंओं की योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण महिला एंव बाल विकास कार्यक्रम, और ट्राइसेम ।

गांवों में पेयजल हेतु निधियों का दुरूपयोग

1677. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1985 से अब तक 15,229 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की गई है लेकिन बासठ हजार गांवों मे आज भी पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था का अभाव हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि 3.78 लाख गांवों में भी यह व्यवस्था आंशिक रूप से की गई है, और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस सबंध में निधियों का बहुत भारी मात्रा में दुर्विनियोजन किया हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है । राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती नहीं है । केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम अतंर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देती है । राज्य सरकारों द्वारा दिसम्बर, 1998 तक दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1985 से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 8390.48 करोड़ रूपये और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 11395.81 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं । 1.11.1999 की स्थिति के अनुसार कुछ 1430663 ग्रामीण बसावटो में से 1126258 ग्रामीण बसावटों को पूर्णत: और 260071 ग्रामीण बसावटों को आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करादी गई है । शेष 44334 ग्रामीण बसावटें न कि गांवों को अभी स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाना है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार कार्य योजना के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की कुछ बसावटों को छोड़कर शेष सभी बसावटों को नौवीं योजना के अन्त तक कवर कर लिया जाएगा बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों । बसावटों को कवर न कर पाने का कारण निधियों की कमी, मौके पर पर्याप्त स्रोतों की कमी और प्रशासनिक अड़चनें थीं ।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋणों पर निगरानी

1678. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के अतंर्गत दिए गए ऋणों और अनुदानों से कितने लोगों को लाभ पहुंचा हैं,

(ख) क्या इन ऋणों और अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई स्थायी निगरानी नेटवर्क है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान उक्त शीर्ष के अंतर्गत राजस्थान को कितनी निधियां उपलब्ध करायी गयी हैं और इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभन्वित व्यक्तियों की कुल संख्या 57.20 लाख है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर की जाती है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में सहायता के समुचित और पूर्ण उपयोग के लिए निधियों के उपयोग के लिए निधियों के उपयोग के त्रैमासिक लक्ष्य रखे गए हैं । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी की जा रही है । राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम की निगरानी करती है । केन्द्र स्तर पर इस मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की क्षेत्र अधिकारी योजना के जरिए निगरानी को मजबूत बनाने का प्रयास किया है जिसमें मंत्रालय के अधिकारी कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारित